

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा ।

दिनांक-13.02.2026

आदेश

पूर्व में पारित रिमाण्ड आदेश दिनांकित -23.04.2025 के अनुसार माह फरवरी 2026 के अवकाश दिवसों में रिमाण्ड कार्य सम्पादित करने हेतु श्री रजत शर्मा, ग्राम न्यायाधिकारी चकरनगर को नामित किया गया था, जिनका माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति के अनुसार न्यायालय परिवर्तित हो गया है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश केवल फरवरी तक ही प्रभावी है। अतः माह फरवरी, 2026 के शेष अवकाश दिवसों एवं माह मार्च, 2026 व अप्रैल 2026 में रिमाण्ड कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित मजिस्ट्रेट अधिकारीगण को नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	पीठासीन अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी का माह
1.	श्री कपिल शर्मा ग्राम न्यायाधिकारी, सैफई	माह फरवरी 2026 के शेष अवकाश दिवस व दिनांक-01.03.2026 व 02.03.2026
2.	श्रीमती शहनाज अंसारी, सिविल जज(वरि०श्रे०) कोर्ट सं० -1/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक-03.03.2026 से -31.03.2026 तक
3.	श्री शिवार्थ खरे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० -2, इटावा।	अप्रैल, 2026

आदेश की एक प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ प्रेषित की जाए तथा उपर्युक्त आदेश से सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाए। तदोपरान्त गार्ड फाइल में अनुरक्षित किया जाए।

दिनांक -13.02.2026

(अश्वनी कुमार-1)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा।

प्रतिलिपि :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ।
2. उपरोक्त सभी न्यायालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।
3. जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
5. संयुक्त निदेशक अभियोजन इटावा।
6. अध्यक्ष जिला बार संघ इटावा।
7. केन्द्रीय कम्प्यूटर कार्यालय, जजी इटावा को अपलोड हेतु।

दिनांक -13.02.2026

(अश्वनी कुमार-1)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा।